

दिखें अभिलेख-हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० _____ से _____ तक

जिला _____ सं० _____

सं० 03

सन 2013-14

केस का प्रकार **एनए एल की धारा 46 के तहत भूमि-विक्री हेतु आवेदन**

आदेश की क्र० सं० और तारीख	ग्रामभाद सिंह लवाह आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रताप सिंह	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

23-5-13

आवेदक 'ग्रामभाद सिंह लवाह' पे-
 एच. मकुनी सिंह लवाह सा. चपरी
 धाना- भवनावपुर जिला- गढ़वा
 के द्वारा विपक्षी प्रताप सिंह पिता- एच.
 राज किशोर सिंह जाति- लवाह धाना- लवाह
 धाना- भवनावपुर जिला- गढ़वा के हाबों
 भूमि विक्री करने हेतु आवेदन-पत्र
 दिनांक 23-5-13

भूमि का विवरण

ग्राम	एवातार	एलाह	एकवा	चौदही
चपरी	77	738	07 1/2	उ०-सतीश देवी

- क०- कचरी रातरा के गोपालकि
- ख०- वैजनाथ सिंह
- प०- किशोरदास 12 1/2

अंचल अधिकारी, भवनावपुर दिनांक
 6.6.13 तक जांच कर जांच प्रतिवेदन दे

अनुपम कुमार
 नया 30

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के पत्रांक 304 दिनांक 20-9-13 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही धाना एवं जाति के रैगत हैं। जमावंदी स्वर्ण आवेदक (विक्रेता) के नाम से कायम है। प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात रकबा 8-14 1/2 डी० भूमि विक्रेता के नाम से ग्रीष्म बचती है। प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2013-14 तक जमा किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि विक्री करने की अनुमति की गई है। विक्रेता द्वारा अपना ध्यान पत्र दिया गया है कि मैं स्वस्थ मन से अपनी भूमि की विक्री कर रहा हूँ, किसी के बहकावे या दबाव में नहीं कर रहा हूँ एवं अपनी नतनी भी सादी हेतु भूमि विक्री कर रहा हूँ।

अतः अंचल अधिकारी भवनाथपुर के अनुमति के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्री क्रेता प्रताप सिंह पिता राजकिशोर सिंह सम्जाति शरवार साठ बरवारी पौठ भगारवाँड धाना भवनाथपुर जिला गढ़वा राज्य-भारखण्ड के हाथों भूमि विक्री की जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम-भवनाथपुर	रकबा	प्लॉट रकबा	चौहद्दी
पपरी	77 1/2	0-07 1/2 डी०	उत्तर-सरीता देवी
51			दक्षिण-शस्ता का गोपाख सिंह
			पू० वैजनाथ सिंह
			प० विक्रेता द्वारा 12 1/2 डी० शस्ता
			उत्तर से दक्षिण
			नगर उत्तरी

आवेदक एवं अंतर निबंधक पदाधिकारी, नगर उत्तरी को सूचित करें।
लेखापित/अंशोधित

अ.समाहता भू० सु०
नगर उत्तरी

अ.समाहता भू० सु०
नगर उत्तरी

